फा. सं. 4/3/1/2012-आईआर

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

*****

तृतीय तल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001, अगस्त, 2019

सेवा में

प्रबंध निदेशक तथा सी.ई.ओ

राष्ट्रीयकृत बैंक

विषय: स्केल VI से स्केल VII में प्रोन्नति हेतु चयन समिति के गठन सम्बंधी दिशानिर्देश/अनुदेश।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्तीय सेवाएं विभाग के दिनांक 08.12.2016 के समसंख्यक पत्र के अधिक्रमण में राष्ट्रीयकृत बैंकों मे स्केल VI से स्केल VII में प्रोन्नति हेतु चयन समिति का गठन इसके पश्चात निम्न प्रकार से होगा:-

1) प्रबंध निदेशक तथा सी.ई.ओ (एम.डी तथा सी.ई.ओ के पद रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक)
2) सरकारी नामिति निदेशक
3) आरबीआई नामिति निदेशक
4) दो विशेषज्ञ, जिनमें कम से कम एक श्रेणी 4(i) से होने चाहिये, को बैंक बोर्ड के अनुमोदन से नामित किया जायेगा तथा इनके पास निम्नलिखित योग्यता/अनुभव होनी चहिये:-
   - (i) सम्बंधित बैंक के अलावा किसी अन्य सरकरी क्षेत्र के बैंक के पूर्व सीएमडी/एमडी: अथवा
   - (ii) अखिल भारतीय सेवा अथवा केंद्रीय सेवा समूह "क" के पूर्व सदस्य जिनके पास उच्च प्रशासनिक ग्रेड अथवा इससे उच्च स्तर का अनुभव हो;
   - (iii) किसी प्रमुख संस्थान के शिक्षाविद जिनके पास वित्त, अर्थशास्त्र अथवा व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रोफेसर अथवा समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।

भवदीय,

(एस.आर मेहर)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23362133

ई-मेल: ir@nic.in

प्रतिलिपि :

1) गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
2) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक